छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | अष्ठम सत्र | अंक-04

<u>रायपुर, गुरूवार, दिनांक 14 जुलाई, 2016</u>

(आषाढ़ 23, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

मानवीय अध्यक्ष ने श्री दीपक बैज, सदस्य के जन्मदिवस के अवसर पर सदन की ओर माननीय सदस्य को शुभकामनाएं दीं।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 43 तारांकित एवं 68 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

4. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में अमृत दूध पीने से अनेक बच्चों की मौत के संबंध में 37 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल एवं सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारेबाजी की गई।)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.27 बजे स्थगित की जाकर 12.43 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव के स्थान पर किसी अन्य विषय के माध्यम से चर्चा कराये जाने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि "मैं देखूंगा।"

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री भूपेश बघेल, टी.एस.सिंहदेव, मोहन मरकाम, सदस्य ने धमतरी जिले के कुसुम भर्री और बटनहर्रा के जंगल में बसे आदिवासी परिवारों को बेदखल किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(2) सर्वश्री दलेश्वर साहू, गिरवर जंघेल, सदस्य ने डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों की जमीन के क्रय-विक्रय एवं नामांतरण कार्य में अनियमितता किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 3 का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की)

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की शून्य काल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोहन मरकाम
(2) डॉ. विमल चोपड़ा
(3) श्री सत्यनारायण शर्मा
(4) श्री मोतीलाल देवांगन
(5) श्री बघेल लखेश्वर

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

डॉ. खिलावन साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई, 2016 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 02)	श्री शिवरतन शर्मा	45 मिनट
2. (क्रमांक - 03)	श्री टी.एस.सिंहदेव	01 घंटा

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(1.52 से 3.04 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 19 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 19 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

9. वर्ष 2016-2017 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 55, 56, 58, 64, 66, 67, 69, 71, 79, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार एक सौ चौवन करोड़, सतासी लाख, उन्नीस हजार, दो सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री रामदयाल उईके, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, कवासी लखमा, संतोष उपाध्याय, अमरजीत भगत, श्याम बिहारी जायसवाल,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री उमेश पटेल, (डॉ) खिलावन साहू, सर्वश्री गिरवर जंघेल, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी),

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 6 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, नवीन मारकण्डेय, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), श्रीमती सरोजनी बंजारे, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ. सनम जांगड़े, सर्वश्री संतराम नेताम, भोजराज नाग, मोहन मरकाम, (डॉ) विमल चोपड़ा, भोलाराम साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री शंकर ध्रुवा,

10. सदन को सूचना

(1) माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई, 2016 को नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा माननीय सदस्यों के लिए दोपहर 1.45 से 3.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित नवीन समिति कक्ष में स्वास्थ्य विषय पर परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कल भोजन अवकाश दोपहर 1.00 बजे होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि परामर्श कार्यक्रम में हिस्सा लें।

(2) माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - अनुपूरक अनुमान पर सभा ने 3 घंटे का समय निर्धारित किया था किंतु माननीय सदस्यों की भावनाओं पर विचार कर समस्त सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान किया और 4 घंटे 10 मिनट चर्चा हो चुकी है। सभा की सहमति से अब अनुपूरक अनुमान पर माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण कल होगा। आज की कार्यसूची में दर्ज पद क्रमांक 6 का कार्य कल लिया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

रात्रि 7.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई, 2016 (आषाढ़ -24, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा